"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2026 — वैशाख 4, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026

क्रमांक 862 / डी. 57 / 21–अ / प्रारू. / छ.ग. / 26.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21–04–2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 7 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026.

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (1982 का 1) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

भाग–3 का विलोपन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (1982 का 1) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) के भाग–3 की धारा 8 एवं 9 तथा उससे संबंधित शीर्षक को विलोपित किया जाए।

अनुसूची का विलोपन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची को विलोपित किया जाए।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026

क्रमांक 862/डी. 57/21–अ/प्रारू./छ.ग./26.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2026)

THE CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ACT, 2026.

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Act, 1981 (No. 1 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows: -

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Act, 2026. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Section 8 and 9 of Part-III of the Chhattisgarh Upkar Act, 1981 (No. 1 of 1982) (hereinafter referred to as the Principal Act) and the heading relating thereto shall be omitted. **Omission of Part-III.**

3. Schedule of the Principal Act shall be omitted. **Omission of Schedule.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.